२९।३।२४ पत्रावली पेश हुई। वकुलाय ... P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ ... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/6/24 को पेश हो।

मुकदमा नम्बर– 12/2017

नानचा वगै0 बनाम नारायण वगै0

14/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों के बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है। अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्र्फम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1729, 1732 कुल किता 02 कुल रकबा 1.48 हैक्ट. अवस्थित ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना में भूमि का बेचान नही करें तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तथा पूर्व में दिनांक 06.08.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्र्फम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्ंन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested

(राज... ...यादव)
... अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner